झींडा ने कहा- पुलिस ने हमारे साथ धोखा किया, संगत को गुमराह किया

चंडीगढ़। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के प्रधान जगदीश सिंह झींडा ने पुलिस प्रशासन पर धोखा देने और संगत को गुमराह करने का आरोप लगाया है। झींडा ने एक वीडियो संदेश में घटना के बारे में बताया कि जब बातचीत के जरिए मसला हल होने वाला था उसी समय पुलिस ने बर्बरता दिखाई।

झींडा ने कहा कि रात करीब 8:13 बजे उनकी पुलिस के आला अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत चल रही थी। इसी दौरान मुख्यमंत्री आवास से भी फोन आया। वहां से उन्हें मामले में उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। झींडा के मुताबिक, वे प्रशासन के आश्वासन से संतुष्ट थे और धरना समाप्त करने की घोषणा करने ही वाले थे लेकिन इसी बीच पुलिस ने अचानक संगत पर वाटर कैनन चला दी और आंसू गैस के गोले दाग दिए।

जारी वीडियो में पुलिस पर आरोप लगाते जगदीश सिंह झींडा। संवाद

बड़ी साजिश थी : एसपी

पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने कहा कि पुलिस पर हमला करने वालों ने बड़ी साजिश रची थी। वे लोग एलपीजी से जा रहे ट्रक का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। ड्रोन कैमरों की फुटेज की मदद से उन चेहरों की पहचान की जा रही है जो हथियार लेकर वहां पहुंचे थे। एहतियात के तौर पर घटनास्थल पर पुलिसकर्मी तैनात हैं।

डीएसपी के अंगूठे का पीजीआई में ऑपरेशन

हमले में घायल डीएसपी विरेंद्र शर्मा को अंबाला के मिल्ट्री अस्पताल से चंडीगढ़ पीजीआई रेफर कर दिया गया। वहां उनके अंगूठे का ऑपरेशन हुआ। उनकी हालत स्थिर है। हमले में घायल कुछ पुलिस कर्मियों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है जबकि चार पुलिसकर्मियों का इलाज अंबाला सिटी नागरिक अस्पताल में चल रहा है।

पुलिस ने फोटो जारी कर चिह्नित किए उपद्रवी

पुलिस की तरफ से पुलिस मुलाजिमों पर हमला करने वाले व दिनभर जाम के दौरान मौजूद उपद्रवियों को चिन्हित किया है। उनकी फोटो भी जारी की है ताकि उन्हें काबू किया जा सके। जारी फोटो में कुछ युवकों पर फरसे, गंडासियां आदि तेजधार हथियार है। एसपी अजीत सिंह ने कहा कि पुलिस टीम व डीएसपी पर जानलेवा हमला करने तथा सरकारी कार्य में बाधा डालने वाले सभी शरारती तत्वों को चिन्हित किया जा रहा है। उनके खिलाफ सख्त धाराओं में मामला दर्ज कर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रदर्शनकारियों ने सीआईए-2 के प्रभारी रवि पर तलवार से जानलेवा हमला भी किया था परंतु लाइफ जैकेट के कारण वह बच गए।

किसानों-खापों ने प्रदेश के नौ टोल पर तीन घंटे लगाया जाम

जीवन हत्याकांड : स्कूल वैन, एंबुलेंस व सेना के वाहनों को निकलने दिया, 10-12 हजार वाहनों की आवाजाही प्रभावित

आज हांसी में मुख्यमंत्री के राज्यस्तरीय कार्यक्रम के विरोध की तैयारी, रात से ही पहुंचेंगे प्रदर्शनकारी

अमर उजाला ब्यूरो

हिसार। सूर्य नगर डेयरी संचालक जीवन कुंडू हत्याकांड के मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज किसान, खाप और मजदूर संगठनों ने शुक्रवार को हिसार, पानीपत, रोहतक और जींद के कुल नौ टोल प्लाजा पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया।

हिसार जिले के पांच टोल प्लाजा पर तीन घंटे जाम लगाया। सुबह 11 बजे से दोपहर दो बजे तक चले जाम के दौरान स्कूल वैन, एंबुलेंस, सेना के वाहनों और अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को रास्ता दिया गया। जाम खुलने के बाद करीब 20 मिनट तक वाहन बिना टोल दिए निकले। पुलिस ने टोल प्लाजा के दोनों ओर रूट डायवर्ट कर रोडवेज व निजी बसों तथा छोटे चौपहिया वाहनों को निकाला।

टोल प्रबंधन के अनुसार, प्रदर्शन के कारण करीब 10-12 हजार वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई और करीब 12 लाख रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ। रामायण टोल पर किसान नेता सुरेश कौथ की डीएसपी विनोद शंकर से कहासुनी हुई।

दो और आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने शुक्रवार को दो और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अब तक नौ आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि मुख्य आरोपी रमेश और मोलड़ अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है।

हिसार में बास टोल प्लाजा पर जाम कर नारेबाजी करते खापों व किसान संगठनों के सदस्य। संवाद

आज हांसी में विरोध की तैयारी

धरना कमेटी ने शनिवार को हांसी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ध्वजारोहण कार्यक्रम का विरोध करने का ऐलान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा के जिला प्रवक्ता सरदानंद राजली ने बताया कि प्रदर्शनकारी शुक्रवार रात से ही हांसी की जाट धर्मशाला में ठहरेंगे और सुबह सात बजे तक पहुंचने का आह्वान किया गया है। पुलिस ने हिसार और हांसी में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए हैं।

- किसान नेता सुरेश कौथ ने बाड़ौधा टोल पर कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं और जिस परिवार के घर में लाश पड़ी हो, वह न्याय की उम्मीद कर रहा है। उन्होंने उचाना विधायक देवेंद्र अत्री पर मुख्य आरोपी रमेश अत्री को बचाने का आरोप दोहराया। उकलाना विधायक नरेश सेलवाल ने कहा कि जीवन हत्याकांड में परिवार को न्याय मिलना चाहिए।

पांच टोल पर रहा जाम

प्रदर्शनकारियों ने हिसार-दिल्ली हाईवे स्थित रामायण टोल, हिसार-सिरसा हाईवे-9 स्थित लांधड़ी टोल, राजगढ़-चंडीगढ़ हाईवे के चौधरीवास और बाड़ौधा टोल तथा जींद-भिवानी स्टेट हाईवे स्थित बास टोल पर जाम लगाया। जाम के समर्थन में विपक्षी दलों के नेता और कार्यकर्ता भी पहुंचे। जीवन हत्याकांड में नामजद मुख्य आरोपी रमेश और मोलड़ की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण लगातार 11वें दिन भी शव का अंतिम संस्कार नहीं हो सका। पुलिस अब तक सात आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।

चार घंटे तक प्रभावित रही आवाजाही : टोल प्रभारी

एनएचएआई टोल प्रभारी पुनीत कुमार ने बताया कि किसान और खाप संगठनों के प्रदर्शन से करीब चार घंटे तक टोल पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। एनएचएआई के चार टोल पर 10-12 हजार वाहन नहीं निकल सके और करीब 12 लाख रुपये का राजस्व नुकसान हुआ।

45 मिनट तक टोल पर किया प्रदर्शन

इसराना। हिसार के सूर्य नगर निवासी जीवन कुंडू हत्याकांड में मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज लोगों ने शुक्रवार को पानीपत के डाहर टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। कुंडू खाप संगठन के आह्वान पर कुंडू समाज और भारतीय किसान यूनियन (एकता सिद्धूपुर) के कार्यकर्ताओं ने करीब 45 मिनट तक टोल पर रोष जताया। संवाद

रोहतक-जींद के टोल पर 3 घंटे प्रदर्शन

रोहतक/जींद। खाप संगठन के आह्वान पर दिल्ली-संगरूर नेशनल हाईवे स्थित खटकड़ और बदूदोवाल टोल प्लाजा पर तीन घंटे तक विरोध प्रदर्शन किया गया। सुबह 11 से दो बजे तक टोल प्लाजा पर वाहनों से टोल वसूली नहीं हुई और टोल फ्री रहा। रोहतक में मकड़ौली टोल प्लाजा पर भी प्रदर्शन किया गया। संवाद

प्रदेश में अब हर तिमाही होगी सरकारी धन की जांच

चंडीगढ़। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में सरकारी धन में गड़बड़ी सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने निगमों, बोर्डों और अन्य सरकारी संस्थाओं में जमा धन की निगरानी सख्त कर दी है। अब हर तिमाही बैंक खातों में जमा सरकारी राशि का लेखा पुस्तकों से मिलान किया जाएगा।

संबंधित संस्थाओं के एमडी या सीईओ को इसकी पुष्टि करते हुए प्रमाण-पत्र देना होगा। वित्त विभाग ने 13 अगस्त को इस संबंध में आदेश जारी कर नई व्यवस्था लागू की है। इसका उद्देश्य बैंक खातों और सरकारी रिकॉर्ड में किसी भी तरह के अंतर या वित्तीय गड़बड़ी को समय रहते पकड़ना है। साल की शुरुआत में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के पूर्व अधिकारियों पर हरियाणा सरकार के अधिकारियों-कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर करीब 600 करोड़ रुपये की सरकारी राशि में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे।

जांच में पता चला था कि एफडी की मियाद पूरी होने के बाद सरकारी धन का उचित सत्यापन नहीं किया गया, जिसका फायदा उठाकर बैंक खातों में जमा राशि को इधर-उधर किया गया। वित्त विभाग के आदेश के अनुसार तिमाही प्रमाण-पत्र में संस्था के सभी बचत, चालू, सावधि जमा और फ्लेक्सी खातों की जांच शामिल होगी। बैंक से निवेश पर मिलने वाला ब्याज संबंधित खाते या एफडीआर में सही तरीके से जमा हुआ है या नहीं, इसकी भी पुष्टि करनी होगी। ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो

विकसित भारत 2047 की दिशा में यात्रा

श्रीमती शालू वार्ष्णेय,
वैज्ञानिक ई और प्रमुख
(चंडीगढ़ शाखा कार्यालय)

भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) देश में गुणवत्ता, सुरक्षा और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय मानक संस्था के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 6 जनवरी 1947 को भारतीय मानक संस्थान (ISI) के रूप में स्थापित BIS आज उपभोक्ता संरक्षण और औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण आधार बन चुका है।

BIS के पास 24,000 से अधिक भारतीय मानक हैं, जिन्हें लगभग 17,000 विशेषज्ञों के नेटवर्क के माध्यम से विकसित किया गया है। इसके प्रमुख कार्यों में मानकीकरण, उत्पाद प्रमाणन, प्रयोगशाला सेवाएं और हॉलमार्किंग शामिल हैं।

उत्पाद प्रमाणन और ISI मार्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराने में सहायता मिल रही है। वहीं, देश के 380 जिलों में सोने के आभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग से शुद्धता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान मिला है। वर्ष 2021 से अब तक 2 लाख से अधिक ज्वैलर्स BIS हॉलमार्किंग योजना के अंतर्गत पंजीकृत हो चुके हैं तथा 60 करोड़ से अधिक आभूषणों की हॉलमार्किंग की जा चुकी है।

BIS चंडीगढ़ शाखा कार्यालय भी उद्योगों, MSMEs, उपभोक्ताओं और अन्य हितधारकों के बीच गुणवत्ता संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। BIS Care App जैसी डिजिटल पहल उपभोक्ताओं को लाइसेंस और HUID जैसी जानकारी सत्यापित करने में सुविधा प्रदान कर रही हैं।

BIS का लक्ष्य गुणवत्ता को जन-आंदोलन बनाते हुए विकसित भारत 2047 के निर्माण में प्रभावी योगदान देना है।

बिहार-हरियाणा के बीच बस सेवा के रूट तय, अयोध्या होकर भी कई रूट

अरुण शर्मा

चंडीगढ़। हरियाणा और बिहार के बीच आवागमन सुगम बनाने के लिए बस संचालन के रूट तय कर दिए गए हैं।

बिहार राज्य परिवहन विभाग की ओर से हरियाणा के प्रमुख शहरों से बिहार के विभिन्न शहरों के लिए बस संचालन का विस्तृत प्रस्ताव भेजा गया है। इनमें एसी और नॉन-एसी बसों के साथ पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) व निजी बसों के संचालन का भी प्रावधान है।

अयोध्या में राम मंदिर और गया जैसे धार्मिक स्थलों के लिए भी यात्रियों को सीधी बस सेवा का लाभ मिलेगा। बिहार से उत्तर प्रदेश और दिल्ली के रास्ते हरियाणा तक बसें संचालित होंगी। बिहार सरकार का दिल्ली के साथ बस संचालन को लेकर समझौता अगले महीने होने की संभावना है। इसके बाद कुछ माह में दोनों राज्यों के बीच बस सेवा शुरू हो सकती है। बिहार और हरियाणा के बीच पहले ही समझौता हो चुका है।

पूर्णिया और मधुबनी के लिए भी बसें

गुरुग्राम से सोहना, पलवल, अलीगढ़, लखनऊ और गोरखपुर होते हुए पूर्णिया तक 1,267 किलोमीटर का सफर होगा। पानीपत से सोनीपत, नोएडा और टप्पल के रास्ते पूर्णिया तक 1,361 किलोमीटर की यात्रा होगी। अंबाला से करनाल, मेरठ, बुलंदशहर, एटा, लखनऊ और अयोध्या होते हुए पूर्णिया तक 1,470 किलोमीटर का रूट तय किया गया है। मधुबनी के लिए अंबाला से 1,378 किलोमीटर, गुरुग्राम से 1,183 किलोमीटर और पानीपत से 1,264 किलोमीटर का रूट होगा। अंबाला से करनाल, गुरुग्राम से सोहना-पलवल और पानीपत से दिल्ली, लखनऊ व गोरखपुर के रास्ते बसें मधुबनी पहुंचेंगी।

पटना के लिए ये होंगे रूट

गुरुग्राम से पटना के लिए सोहना, पलवल और उत्तर प्रदेश के रास्ते 1,044 किलोमीटर का सफर होगा। पानीपत से दिल्ली और नोएडा होते हुए पटना तक 1,069 किलोमीटर की दूरी तय होगी। अंबाला से करनाल और मेरठ के रास्ते पटना तक बसें चलेंगी और यात्रा करीब 1,274 किलोमीटर होगी।

गया के लिए भी तीन शहरों से बस

बिहार राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ के निर्देशों के अनुसार एसी और नॉन-एसी बसों का संचालन होगा। पीपीपी या निजी बस संचालकों को भी बिहार राज्य परिवहन विभाग से अनुमति लेनी होगी और निर्धारित नियमों के अनुसार ही किराया वसूलना होगा। अंबाला, गुरुग्राम और पानीपत से गया के लिए भी बसें चलेंगी। गुरुग्राम से नई दिल्ली, अलीगढ़, फिरोजाबाद और कानपुर होते हुए गया तक 1,081 किलोमीटर का सफर होगा। पानीपत से दिल्ली, उत्तर प्रदेश होते हुए गया तक 1,099 किलोमीटर और अंबाला से पानीपत, अलीगढ़, लखनऊ आदि के रास्ते गया तक 1,224 किलोमीटर की यात्रा होगी।

नशे की लत का पता चला तो 72 घंटे में इलाज से जोड़ेंगे

गांव-वार्ड तक टास्क फोर्स, पंचायत स्तर तक कमेटियां करेंगी निगरानी

चंडीगढ़। हरियाणा में नशे के खिलाफ अभियान अब जिला स्तर तक सीमित नहीं रहेगा। सरकार ने नशे की रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के लिए राज्य, जिला, उपमंडल और ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड स्तर पर चार-स्तरीय कमेटियां गठित करने का फैसला लिया है।

किसी व्यक्ति में नशे की लत के लक्षण सामने आने पर उसे 72 घंटे के भीतर सरकारी स्तर पर अनुमोदित उपचार, परामर्श और पुनर्वास सेवाओं से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। गांवों में ग्राम स्तरीय नशा मुक्ति टास्क फोर्स और शहरों में वार्ड स्तरीय टास्क फोर्स बनाई जाएंगी। इनमें प्रशासन, पुलिस, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के प्रतिनिधियों के अलावा युवा, वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक संगठनों के सदस्य शामिल होंगे। ये टीमें नशे के संभावित सेवन और तस्करी वाले स्थानों की पहचान कर संबंधित अधिकारियों को सूचना देंगी। राज्य स्तरीय संचालन एवं निगरानी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी होंगे। समिति नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश की कार्ययोजना, जागरूकता, उपचार, परामर्श और पुनर्वास के लक्ष्यों की समीक्षा करेगी। इसकी बैठक हर तीन महीने में होगी।

जिला समितियों की अध्यक्षता उपायुक्त करेंगे। वे संवेदनशील इलाकों और जोखिम वाले समूहों की पहचान के साथ जागरूकता कार्यक्रमों और नशा मुक्ति केंद्रों की निगरानी करेंगे। स्कूलों और संबंधित केंद्रों का हर तीन महीने में निरीक्षण किया जाएगा।

उपमंडल स्तर पर एसडीएम की अध्यक्षता में समिति काम करेगी। यह समिति नशा मुक्ति और उपचार केंद्रों का हर महीने निरीक्षण करेगी। ग्राम और वार्ड स्तर की टास्क फोर्स ग्राम सभा और वार्ड सभा के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाएंगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि उपचार के दौरान नशे की लत से जूझ रहे व्यक्ति की गोपनीयता और सम्मान का विशेष ध्यान रखा जाएगा। ब्यूरो

नियमितीकरण पर नहीं बनी बात, सफाई दमकल कर्मचारियों ने ठुकराया प्रस्ताव

चंडीगढ़। हरियाणा में सफाई और दमकल कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सरकार और कर्मचारी यूनियनों के बीच पांचवीं वार्ता भी बेनतीजा रही।

सरकार ने कर्मचारियों को 55 साल की उम्र में नियमित करने का प्रस्ताव दिया, जिसे यूनियन ने खारिज कर दिया। सीवर कर्मचारियों के खाली पदों पर नियमित भर्ती की मांग पर भी सहमति नहीं बनी। कर्मचारियों ने आंदोलन जारी रखने का फैसला लिया है। हड़ताल 15 अगस्त तक प्रस्तावित है। नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा व हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन के नेताओं ने आरोप लगाया सरकार बातचीत के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रही है।

पांचवीं वार्ता भी बेनतीजा 15 अगस्त को हड़ताल बढ़ाने पर फैसला

राज्य प्रधान नरेश कुमार शास्त्री ने कहा 13 मई को सरकार के साथ 17 मांगों पर सहमति बनी थी, इनके क्रियान्वयन के पत्र अब तक जारी नहीं किए गए। बैठक में समाज कल्याण मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, प्रधान सचिव अरुण गुप्ता मौजूद रहे। सरकार व कर्मचारियों के बीच पहली बैठक 30 अप्रैल, दूसरी 13 मई, तीसरी 29 जुलाई, चौथी 5 अगस्त व पांचवीं 14 अगस्त को हुई। ब्यूरो

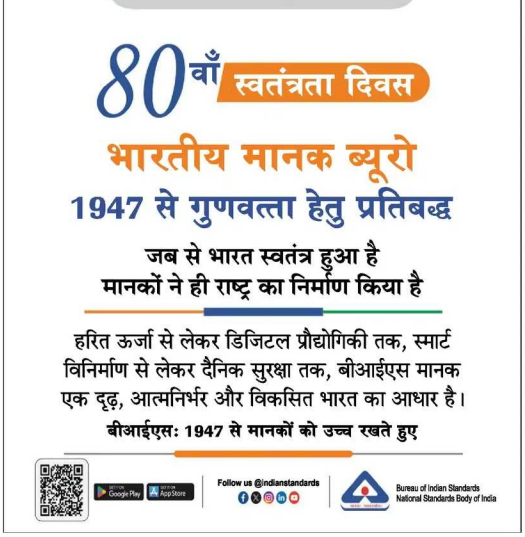

IN THE HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH AT SHIMLA-01
RSA No.239/2009-C
Smt. Pamplu Devi
.....Appellant(s)
Versus
Smt. Sevati Devi deceased through her LRs Smt. Sharda and others
.....Respondent(s)
(Proclamation Under Order 5 Rule 20 of the Code of Civil Procedure).
Notice to Respondents No. 1(i)(I) to 1(1)(iii):
Respondent No.1(i) (i): Smt. Meena D/o deceased Sh. Chet Ram, S/o Sh. Ghevlia Ram,
Respondent No.1(i)(ii): Smt. Leela D/o deceased Sh. Chet Ram, S/o Sh. Ghevlia Ram,
Respondent No.1(i)(iii): Sh. Jai Singh S/o deceased Sh. Chet Ram, S/o Sh. Ghevlia Ram,
All Residents of Mauza Patyog, Patti Chaura, Pargana Jajhot, Tehsil and District Shimla, H.P.
WHEREAS in the above noted case, it has been proved to the satisfaction of this Court that above named respondents cannot be served in an ordinary way.
THEREFORE, the proclamation **under order 5 rule 20 of the Code of on Civil Procedure** is hereby issued against them that they should appear in this Court either personally or through some duly authorized agent/pleader **22nd day of September, 2026 (22/09/2026) (Actual Date) at 10.00 A.M.** failing which part proceedings will be taken against them.
GIVEN under my hand and seal of the Court this 05th day of August, 2026.
Section Officer (Judicial)
High Court of Himachal Pradesh, Shimla-171001.

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda
आरओएसएआरवी एससीओ: 62-63, तीसरी मंजिल, बैंक स्क्वायर, सेक्टर-17बी, चंडीगढ़-160017
ई-नीलामी बिक्री सूचना

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना
[अचल हेतु नियम 6(2) के साथ परिशिष्ट-IIए]

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 6(2) व 8(6) के प्रावधान के साथ पठित प्रतिभूति हित अधिनियम 2002 की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनः निर्माण और प्रवर्तन के तहत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।
जन साधारण तथा विशेषतः ऋणकर्ताओं, रेहनकर्ताओं व गारंटरों को एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूतित ऋणदाता के पास रेहन रखी/प्रभारित निम्न उल्लेखित अचल संपत्ति जिसका कब्जा **बैंक ऑफ बड़ौदा** प्रत्याभूतित ऋणदाता के **प्राधिकृत अधिकारी** द्वारा लिया गया है। इसकी बिक्री निम्न निर्दिष्ट खाते के समक्ष बकाया राशि की वसूली हेतु **"जैसे है जहां है" "जैसे है जो है"** और **"जो कुछ वहां है"** के आधार पर की जाएगी। ऋणकर्ता(ओं)/रेहनकर्ता(ओं)/गारंटरों/प्रत्याभूतित परिसंपत्तियों/बकाया राशि/आरक्षित मूल्य ई-नीलामी की तिथि व समय, ईएमडी व बोली वृद्धि राशि निम्नानुसार है।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं)/गारंटरों एवं रहनकारों का नाम एवं पता	कुल देनदारी	ई-नीलामी की तिथि व समय	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	कब्जे की स्थिति	संपत्ति निरीक्षण की तिथि एवं समय	ज्ञात ऋणभार, यदि कोई है के साथ अचल संपत्ति का ब्योरा
1.	**ऋणकर्ता(ओं) :मैसर्स राय ट्रेडर्स, जिसका पंजीकृत पता है :** प्लॉट सं.-386, औद्योगिक क्षेत्र फेज-9, मोहाली एसएएस नगर, पंजाब एवं इसके सहभागियों द्वारा-**श्री गुरचरण सिंह दादाहूर** पुत्र बचन सिंह एवं श्री परमवीर सिंह राय पुत्र श्री गुरचरण सिंह दादाहूर, दोनों निवासी म.सं. 3144, सैक्टर-21-डी, चंडीगढ़-160022	**Rs. 1,50,05,392.33** एवं उसपर अनुबंध दर पर भावी ब्याज जमा लागते प्रभार एवं खर्चे, पूर्ण भुगतान तक, 13(2) की मांग सूचना दिनांक **31.07.2025** के जारी के बाद प्राप्त की गई राशि **48,00,000/-** रू. को घटा कर।	**23.09.2026** को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 03:00 बजे	Rs. 25,40,00,000/- / Rs. 25,40,000/- / Rs. 1,00,000/-	बैंक का सांकेतिक कब्जा	**31.08.2026** को पूर्वा. 11:00 बजे से अप. 03:00 बजे से (केवल पूर्व नियुक्ति के साथ)	श्री गुरचरण सिंह पुत्र बचन सिंह के नाम में क्रम सं.-1331, बुक सं.-1, वोल. सं.-93 दिनांक- 19 सितम्बर, 1994 द्वारा पंजीकृत मकन स.-3144, सेक्टर-21-डी, चंडीगढ़ माप दो कनाल, आरपी सं.-2383, पुराना प्लॉट सं.-36, गली-डी, यूटी चंडीगढ़ के समान रेहन वाली सम्पत्ति के सभी जरूरी भाग। **बैंकनेट सम्पत्ति आईडी: BARB60452026000001**
2.	**ऋणकर्ता(ओं) : मैसर्स स्टैंडर्ड भारत गैस** जिसका पंजीकृत पता है :- प्लॉट सं.-558, खसरा सं. 223(0-12), गांव कज़ेड़ी, सैक्टर-52, चंडीगढ़ एवं इसके सहभागी द्वारा-**श्रीमती सुमन सैनी** पत्नी श्री हरमनप्रीत सिंह, निवासी म.सं.-442, सैक्टर-65, फेज-11, मोहाली, एसएएस नगर, पंजाब-160062 एवं **गारंटर : श्री गुरचरण सिंह दादाहूर** पुत्र बचन सिंह एवं श्री परमवीर सिंह राय पुत्र श्री गुरचरण सिंह दादाहूर दोनों निवासी म.सं.-3144, सैक्टर-21-डी, चंडीगढ़-160022	**Rs. 81,99,925.88** एवं उसपर अनुबंध दर पर भावी ब्याज जमा लागते प्रभार एवं खर्चे, पूर्ण भुगतान तक, 13(2) की मांग सूचना दिनांक 26.08.2025 के जारी के बाद प्राप्त की गई राशि **17,94,311.54** रू. को घटा कर।					

संपर्क व्यक्ति का नाम और संपर्क नंबर: सुश्री अमनप्रीत कौर, मुख्य प्रबंधक, मोबाइल: 8558846401
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: ई-नीलामी की तिथि और समय से पहले या उस दिन तक।
ई-नीलामी शुरू होने की तिथि और समय: 23.09.2026, सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक।
ईएमडी के भुगतान का तरीका: एनईएफटी/ई-पेमेंट गेटवे

बिक्री के विस्तृत नियम और शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट लिंक https://www.bankofbaroda.bank.in/e-auction.htm और ऑनलाइन नीलामी पोर्टल https://Baanknet.com पर जाएं।
नियम एवं शर्तें:- (ए) संपत्ति प्रतीकात्मक कब्जे में है और बोलीदाता इस प्रतीकात्मक कब्जे वाली संपत्ति को अपने जोखिम और जिम्मेदारी पर खरीद रहा है। **(बी)** बैंक केवल प्रतीकात्मक रूप से संपत्ति का कब्जा सौंपेगा और सफल नीलामी बोलीदाता/खरीददार बैंक से भौतिक कब्जे का दावा नहीं कर सकेगा। **(सी)** बैंक भौतिक कब्जा सौंपने के लिए जिम्मेदार या बाध्य नहीं होगा। **(डी)** सफल नीलामी खरीददार किसी भी स्थिति में धन वापसी पर किसी भी प्रकार के ब्याज का दावा करने का हकदार नहीं होगा। **(ई)** सफल नीलामी खरीददार को ई-नीलामी के तुरंत बाद उपरोक्त नियमों एवं शर्तों की पुष्टि करते हुए घोषणा सह वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा। (एफ) बिक्री के बाद यदि सफल बोलीदाता घोषणा सह वचन पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो बोली की ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
इसे सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वैधानिक 30 दिन की बिक्री सूचना के रूप में माना जा सकता है।

दिनांक : 14.08.2026 | स्थान : चंडीगढ़ | प्राधिकृत अधिकारी

SCAN HERE
For detailed terms & conditions